

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **सहायक समाज कल्याण अधिकारियों** को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मुरधीधर भट्ट	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंह नगर	धारा-17(1) ग
2	श्री शैलेन्द्र पाण्डे	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	धारा-17(1) क
3	सुश्री आंचल वेदवाल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी	धारा-17(1) क (दुर्गम विकास खण्ड)
4	सुश्री मीनाक्षी उपाध्याय	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी	धारा-17(1) क (दुर्गम विकास खण्ड)
5	श्री विपिन राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	धारा-17(1) ख
6	श्रीमती पूनम चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	धारा-17(1) ग
7	श्री संदीप चौधरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	धारा-17(1) ख
8	श्रीमती नीलम ज्योति	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	धारा-17(1) क

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

**कमश:-2**

(2)

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही अग्रहित किया जायेगा। स्वयं के अनुरोध पर धारा-17(1)ख के अंतर्गत स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बी०एल० फिरमाल )  
निदेशक।

**निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।**

पत्रांक 1143 /स०क०/स्था०-3/स्थाना०/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- नोडल अधिकारी आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक।

## संशोधित आदेश

निदेशालय आदेश संख्या-1149/स0क0/स्था0-3/स्थाना0/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्री बचन सिंह पुण्डीर, वाहन चालक, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग के किये गये स्थानान्तरण आदेश के कालम-4 में त्रुटिवश उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून के स्थान पर उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून अंकित हो गया है।

अतः उक्त स्थानान्तरण आदेश में नवीन तैनाती का स्थान उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून पढ़ा व समझा जाय। शेष यथावत रहेगा।

(बी0एल0 फ़िरमाल )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 115 / स0क0 / स्था0-3 / स्थाना0 / 2022-23 दिनांक 8 जुलाई 2022  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देहरादून।
- 4- नोडल अधिकारी आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक



## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **वाहन चालकों** को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुधाकर सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग	धारा-17(1) क
2	श्री बचन सिंह पुण्डीर	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून	धारा-17(1) ग

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(बी०एल० फिरमाल )  
निदेशक।

### निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1149/स०क०/स्था०-3/स्थाना०/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देहरादून।
- 4- नोडल अधिकारी आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक  
निदेशक,

समाज कल्याण उत्तराखण्ड

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **ग्रुप अनुदेशक** को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री बसंत कुमार जोशी	रा०औ० प्रशि० सं० बागेश्वर	रा०औ० प्रशि० सं० पाइंस नैनीताल	धारा -17(1)ग के अंतर्गत

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(बी०एल० फिरमाल )  
निदेशक।

### निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1142/स०क०/स्था०-3/स्थाना०/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 5- नोडल अधिकारी आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक।



## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सहायकों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द कुमार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	धारा-17(1) क
2	श्री मोहन सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	निदेशालय समाज कल्याण, हल्द्वानी नैनीताल	धारा-17(1) ग

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(बी०एल० फिरमाल )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1145/स०क०/स्था०-3/स्थाना०/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 5- नोडल अधिकारी आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक।  
निदेशक,

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नरेश कुमार धारखोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली	धारा-17(1) ख

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा। स्वयं के अनुरोध पर धारा-17(1)ख के अंतर्गत स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बी०एल० फिरमाल )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 114) /स०क० /स्था०-3 /स्थाना० /2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- नोडल अधिकारी आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



निदेशक,  
निदेशक,

समाज कल्याण अनुभाग-4  
हल्द्वानी (नैनीताल)



## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **वरिष्ठ सहायकों** को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	
1	श्री मनोज कुमार	कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल	जिला कल्याण नैनीताल	रा०आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक वि० बेतालघाट	धारा-17(1) क
2	श्री विक्रान्त चौहान	कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	जिला कल्याण देहरादून	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग	धारा-17(1) क
3	श्री भौन राम	रा०आश्रम पद्धति वि० बेतालघाट	रा०आश्रम पद्धति वि० बेतालघाट	रा०आश्रम पद्धति वि० बेतालघाट	धारा-17(1) ग
4	सुश्री प्रीति नौटियाल	रा०वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह चमोली	रा०वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी	धारा-17(1) ग
5	श्री कृष्णानंद पाण्डेय	कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	जिला कल्याण चम्पावत	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	धारा-17(1) ख

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



( 2 )

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा। स्वयं के अनुरोध पर धारा-17(1)ख के अंतर्गत स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बी0एल0 फिरमाल )  
निदेशक।

**निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।**

पत्रांक 1148 /स0क0 /स्था0-3 /स्थाना0 /2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6- नोडल अधिकारी आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक।

निदेशक,  
समाज कल्याण उत्तराखण्ड  
हल्द्वानी (नैनीताल)

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सिद्धार्थ रावत	कार्यालय जिला समाज कल्याण हरिद्वार	कार्यालय जिला समाज कल्याण रुद्रप्रयाग	धारा-17(1) क
2	श्री दलीप प्रसाद	कार्यालय जिला समाज कल्याण पिथौरागढ़	निदेशालय समाज कल्याण, हल्द्वानी नैनीताल (मु०प्र०अ० पद के सापेक्ष)	धारा-17(1) ग

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(बी०एल० फिरमाल )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1146 / स०क० / स्था०-3 / स्थाना० / 2022-23

दिनांक 8 जुलाई 2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 5- नोडल अधिकारी आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



निदेशक।  
निदेशक,

समाज कल्याण उत्तराखण्ड  
हल्द्वानी (नैनीताल)



## आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी** को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विनोद कुमार उनियाल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	धारा -17(1) ख के अंतर्गत

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा। स्वयं के अनुरोध पर धारा-17(1)ख के अंतर्गत स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बी०एल० फिरमाल )  
निदेशक।

**निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।**

पत्रांक 1141/स०क०/स्था०-3/स्थाना०/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, चमोली।
- 3- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 5- नोडल अधिकारी आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



निदेशक।

समाज कल्याण अनुभाग-  
हल्द्वानी (नैनीताल)

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **अनुदेशकों** को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कुलदीप कुमार पांथरी	रा0औ0 प्रशि0 सं0 मालधनचौड़ नैनीताल	रा0औ0 प्रशि0 सं0 बागेश्वर	धारा -17(1)क
2	श्री चन्दन सिंह जीना	रा0औ0 प्रशि0 सं0 बागेश्वर	रा0औ0 प्रशि0 सं0 मालधनचौड़ नैनीताल	धारा -17(1)ग

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(बी0एल0 फिरमाल )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1144/स0क0/स्था0-3/स्थाना0/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष।
- 4- नोडल अधिकारी आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक।

निदेशक,

समाज कल्याण उत्तराखण्ड



## संशोधित आदेश

निदेशालय आदेश संख्या 1143/स0क0/स्था0-3/स्था0/2022-23 दिनांक 08 जुलाई 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त स्थानांतरण आदेश के क्रमांक 02 को निम्नवत् पढ़ा व समझा जाय।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी / अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
2	श्री शैलेन्द्र पाण्डे	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	धारा-17(1) ग (दुर्गम से सुगम विकास खण्ड)

शेष शर्तें व नियम पूर्ववत् यथावत् रहेंगे।

(बी०एल०फिरमाल)  
निदेशक

### निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल

संख्या 1178/निदे०स०क०/स्था०/2022-23

दिनांक-12-7-2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- नोडल अधिकारी आई०टी० सैल को विभागीय बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु
- 5- संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 6- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक